हिन्दी की चुनौतियाँ और भविष्य

प्रतिभा प्रसाद [39]

अर्थ की दृष्टि से 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हिन्द या भारत से संबंधित किसी भी वस्तु तथा हिन्दी या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ तथा अन्य कुल की भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है, किन्तु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अब प्रचलित नहीं है। ऋग्वेद में 'सिन्धु' और 'सप्तसिन्धवः' शब्द नदी तथा सात नदियों के अर्थ में कई बार मिलता है। अतः 'सिन्धु' शब्द फारसी में 'हिन्दी' हो गया और उसी से 'हिन्दी' बना है जिसका अर्थ है– हिन्द का। भाषा के इस शब्द के पुराने प्रयोग हिन्दी तथा उर्दू दोनों के लिए मिलते हैं। ईरान आने वाले प्राचीन ग्रीकों ने 'हिन्द' को 'इण्डिया' या 'इण्डिका' कहा है। 'इण्डिया' शब्द उसी का आधुनिक उच्चारण है।

खड़ी बोली पर आधारित हिन्दी का आरम्भिक विकास दक्खिनी हिन्दी के रूप में दक्षिण के राज्यों में ही हुआ था। हिन्दी में गद्य रचना की परम्परा का विकास भी दक्खिनी से ही आरम्भ होता है। और खड़ी बोली का प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ दक्खिनी में ही मिलता है। दक्खिनी हिन्दी मूलतः उत्तर की खड़ी बोली पर आधारित है जो दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्र की बोली रही है। उसका यह रूप कहीं बाहर नहीं आया था, बल्कि मूल रूप से पहले से ही यहाँ विद्यमान था। कुछ ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों से इसका साहित्यिक विकास उत्तर में न होकर १४वीं शती से १८वीं शती तक दक्षिण के सुल्तानों के संरक्षण में हुआ था। बीजापुर गोलकुण्डा, गुलवर्गा तथा वीदर आदि इसके मुख्य केन्द्र थे। बहमनी में तो हिन्दी के इस रूप को राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया था। इसी भाषा का प्राचीन नाम 'हिन्दुई' या 'हिंदवीं' था। मुसलमान जब भारत में आये तो उन्होंने यहाँ के लोगों को 'हिन्दू' कहा और यहाँ की भाषा को 'हिन्दुई'। यही हिन्दुई कालान्तर में 'हिन्दी' हो गया।

'हिन्दी' ने अपने विराट स्वरूप में जन–जन को जोड़ने का काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में एक सशक्त माध्यम के रूप में हिन्दी ने पूरे राष्ट्र को जोड़कर रखा। हर समाज की रहन–सहन की कुछ परम्पराएँ होती हैं। उसकी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है। जो समाज जितना प्राचीन होता है, उसी अनुपात में उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का लेखा–जोखा रहता है। इस तरह भाषा हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने का माध्यम भी है। यदि भाषा न होती, तो न हमारे वेद, उपनिषद और पुराण होते। हिन्दी के अन्तर्गत अनेक बोलियों को स्थान दिया गया है, जिससे विभिन्न बोली–बानी के लोग सहज रूप से हिन्दी को अपनाते रहे हैं। अतः हिन्दी मानक भाषा के रूप में हिन्दी पट्टी अपना ली गयी। इसके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अवदान ने ही स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी विशेष भूमिका का निर्वाह किया।

स्वतंत्रता पश्चात् हिन्दी के वर्चस्व को कम करके आँका जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद ३४३ में कहा गया है कि संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी रहेगी, पर साथ ही यह भी प्रावधान है कि इस संविधान के आरम्भ से पंद्रह वर्ष की अवधि तथा संघ के प्रशासकीय प्रयोजना के लिए

---

[39] कुल्टी कॉलेज, (विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग), कुल्टी (प० बंगाल)

अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जायेगा। तब यह अनुमान लगाया गया कि पंद्रह वर्ष के अंदर हिन्दी पूरे तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल कर लेगी। पर आज हम देखते हैं कि हिन्दी वर्चस्व पाने की जगह वर्चस्व जाने की लड़ाई लड़ रही है। पर सरकार की भाषा संबंधी समझ अधूरी थी। आज भी कार्यालयी भाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाए रखने की मंसा साफ नजर आ रही है। १८३७ में इस देश की आबादी का बहुत ही नगण्य प्रतिशत अंग्रेजी जानता था। पर अंग्रेजी को दी गई यह पंद्रह वर्षीय छूट पचास वर्षीय योजना का काम कर गयी। आजादी के इतने वर्षों पश्चात् भी राजभाषा तो दूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक सरकार की ओर से हिन्दी के प्रचार-प्रसार उन्नति-प्रगति के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनायी गयीं या बन रही हैं। जाने कितनी पत्रिकाओं-पुस्तकों का प्रकाशन, अनुवाद कार्य, पुस्तक वितरण, संस्था, अनुदान तथा क्षेत्रीय विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई या आयोजित की जा रही है, पर अंग्रेजी का अभेद्य दुर्ग आज भी ज्यों का त्यों खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारे लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अंग्रेजी के प्रति मोहभंग नहीं हो पाया या हो पा रहा है। अंग्रेजी के प्रति इस अनन्य भक्ति से हिन्दी का महत्व घटता चला जा रहा है। अंग्रेजी मोह से ग्रसित होकर यह लचर दलील दी जा रही है कि विश्व के विकसित राष्ट्रों से मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। यही नहीं विशिष्टता बोध से अंग्रेजी को जोड़देने के पीछे यह मानसिकता छिपी हुई है कि उसे दिन-प्रति-दिन मजबूत किया जाता रहे। हिन्दी को हाशिए पर डालकर आज तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोग घरेलू काम-काम-काज के लिए भी अंग्रेजी का ही प्रयोग करने में अपनी सफलता मानते हैं। आज हमारी जैसी मानसिकता होती चली जा रही है, उसके पीछे यही अंग्रेजीयत का अंधानुकरण है। हम अंग्रेजीयत के छद्म आवरण में भारतीय पहचान को विलुप्त करते चले जा रहे हैं। आज वैश्वीकरण के इस दौर में जब हमारी मानसिकता ही पश्चिम के अनुकरण से तैयार हो रही है, तब अपनी हिन्दी भाषा के लिए चिन्तित होना लाजमी है। इक्कीसवीं शताब्दी में हम जब एक राष्ट्र, एक विश्व की बात कर रहे हैं, तो एक भाषा का खतरा भी हमारे ऊपर हावी होता दिखता है। जिस राष्ट्र की अपनी कोई एक भाषा ही नहीं हो वह राष्ट्र कैसे इस खतरे के मुकाबले के लिए उठ खड़ा होगा? पूरी हिन्दी पट्टी ही नहीं पूरा देश इस खतरे की चपेट में आ जाएगा। हमारी 'हिन्दी' भाषा न सिर्फ अंग्रेजी से बल्कि विगत कुछ वर्षों से अपनी ही बोलियों से जद्दोजहद कर रही है। आठवीं अनुसूची में शामिल होने की होड़ लग गयी है। मैथिली और भोजपूरी इसके उदाहरणार्थ हमारे समक्ष खड़े हैं पहले तो हमें अपने ही बहुभाषी राष्ट्र के विभिन्न भाषागत संकीर्णताओं से मुकाबला करना पड़ा। भाषागत आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन होना इसका ही उदाहरण है। बंगाल, तमिलनाडु, उड़िसा, महाराष्ट्र, पंजाब इसके ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भाषायी महत्व देने के नाम पर चाहे-अनचाहे रूप में अंग्रेजी का महत्व बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले क्षेत्रीयता के आधार पर हिन्दी के महत्व को कम करके आँका गया अब बोलियों के नाम पर हिन्दी को कमजोर करने का काम लगातार जारी है।

हिन्दी के अस्तित्व को कम करके आँकने का काम कितना भी क्यों न किया जाय, पर आज हमारी मीडिया के द्वारा उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने का काम जारी है। मीडिया द्वारा घरों तक हिन्दी चाहे-अनचाहे रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आज बड़े ही नहीं बच्चे भी बिना सिखाए

विभिन्न कार्टून चैनलों के सूपर हिरोज से प्रभावित होकर हिन्दी भाषा न सिर्फ हिन्दी भाषी दर्शकों को प्रभावित करता है बल्कि अन्य भाषा–भाषी व्यक्ति भी हिन्दी के दर्शकों की कतार में खड़ा कर देता है। टी. वी. चैनलों की भाँति हिन्दी सिनेमा ने भी हिन्दी भाषा को साधारण जनता की भाषा में परिणित होने का पूरा अवकाश दिया है। सिनेमा ने भाषाई ताकत के द्वारा हिन्दी को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिन्दी सिनेमा को देखने वाले दर्शक देश ही नहीं विदेशों में भी इस भाषा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हिन्दी को उसका निखरा हुआ रूप न सिर्फ साहित्य के द्वारा विस्तार पाता है बल्कि इन गौण साधनों के द्वारा भी हिन्दी के विस्तार को बल मिला है। आज हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों का इतनी सरलता के साथ समावेश किया जा रहा है कि वह किसी अन्य भाषा का नहीं, बल्कि उसकी अपनी विशिष्टता लगने लगती है। अंग्रेजी जानने वाले लोग भी बिना हिन्दी के अपनी बात को पूरा हुआ नहीं मानते हैं। अतः हिन्दी और अंग्रेजी के मिश्रण ने भी हिन्दी को उच्च तबके के लोगों के बीच भी आसानी से प्रसारित होने का मौका दिया है। जिस कारण हिन्दी–अंग्रेजी मिश्रित भाषा के प्रति सबका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इससे हिन्दी को कोई क्षति पहुँचती नहीं दिखती बल्कि इससे उसके प्रसार को और बल मिलता है। बहुत सारे लोग अपनी भाषामत मोह को त्याग कर विभिन्न भाषाओं के अध्येता बनना अपनी सफलता स्वीकार करते हैं। आज के इस समय में पढ़े–लिखे नौजवानों की संख्या दिन–पर–दिन तीव्रगति से बढ़ती चली जा रही है। जिस कारण उन्हें अपने प्रांतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में जाकर बसना पड़ता या वे बसने के लिए बाध्य है। इस प्रकार वे एक ऐसी भाषा का चुनाव करते हैं, जिससे उन्हें वहाँ काम करने, रहने या फिर जीवन–यापन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आज टी. वी. पर होने वाले रियलिटीज शो में भाग लेने की कवायद हरेक प्रांत के लोगों को बरबस ही अपनी तरफ खींच लेती है। इस कारण उस प्लेटफार्म को प्राप्त करने के लिए जिस भाषा से उन्हें सबसे ज्यादा अपने–आप को बनाए रखने में सफलता मिलेगी, वह होती है– हिन्दी। हिन्दी बोलचाल की भाषा थोड़ी–बहुत त्रुटिपूर्ण होने पर भी वह हमारे लिए इस लिए सुखद प्रतीत होती है कि कम से कम अहिन्दी भाषी जनता हिन्दी को अपने लिए ही सही अपना रही है या अपनाने के पक्ष में है। यही कारण है अहिन्दी भाषा–भाषी राज्यों में हिन्दी को जानने–सीखने की ललक अत्यन्त ही ज्यादा देखने को मिलती है। आज हिन्दी न सिर्फ हम अपने देश में बल्कि विदेशों के कई देशों में पूरी तरह से अपनाई गयी भाषा है। सूरीनाम, मोरिशस, टोबैको, त्रिनिदाद जैसे देशों में हिन्दी भाषा को मुख्य रूप से स्वीकार कर उसे वहाँ गौरवान्वित किया गया है। भारतीय मूल के लोगों की अधिकता के कारण हिन्दी वहाँ बड़ी ही सहृदयता के साथ व्यवहार में लाया जाता है।

इस कारण हिन्दी का भविष्य उज्जवल से उज्जवलतम होता चला जा रहा है। कल तक जो हिन्दी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, वह आज अपने चतुर्दिक विकास से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वह अपने होने या फिर बने रहने का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। यही उसकी सफलता, विकसनशीलता का परिचायक है।

नागार्जुन के काव्य में सामाजिक पीड़ा